



स मा चार

राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्योटी नहर क्रासिंग के लिए मिली अनुमति, हजारों किसानों के खेतों में पहुंचेगा पानी विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम के प्रयासों से भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी अनुमति

भोपाल, 29 जून 2021। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश गौतम के प्रयासों से भू-तल, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाण सागर की क्योटी नहर की 5 स्थानों पर क्रासिंग की अनुमति प्राप्त हो गई है। क्रासिंग निर्माण से लंबे समय से सिंचाई से वंचित विंध्य के किसानों के खेतों तक पानी पहुंच पाएगा और इससे उन्हें खेती में भरपूर लाभ प्राप्त होगा। अनुमति प्रदान किए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने केंद्रीय भू-तल, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त किया है।

क्योटी नहर के लिए 5 स्थानों (चंदेह, अमिलिकी एवं डगडगापुर नहर प्रणाली) पर राष्ट्रीय राजमार्गों को क्रास करने की अनुमति प्रदान की गई है। शीघ्र ही इस कार्य की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही कर, कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

बाण सागर की क्योटी नहर की राष्ट्रीय राजमार्गों से क्रासिंग न होने के कारण, विगत कई वर्षों से रीवा जिले के कमांड क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित रही है। इन किसानों को सिंचाई के लिए जल प्राप्त होने से इनकी आय में वृद्धि होगी एवं किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में सार्थक प्रयास हो पाएगा।

भारत सरकार द्वारा निम्न स्वीकृतियां दी गई हैं:-

- (1) मनगंवा - हनुमना (NH-07) के ग्राम चंदेह के पास
- (2) मनगंवा - हनुमना (NH-07) के ग्राम पलिया के पास
- (3) मनगंवा - इलागाबाद (NH-27) के ग्राम परासी के पास
- (4) रीवा - मनगंवा (NH-07) के ग्राम रमणी के पास
- (5) रीवा - इलाहाबाद (NH-07) के ग्राम मढी के पास

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव